



जलांश

खंड 7 अंक 01 अगस्त - 2024

संदेश



श्री कुशविंदर वोहरा
अध्यक्ष, के ज आ

जुलाई के महीने में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम पहल के तहत अंतर-राज्यीय जल विवादों को सुलझाने, बाढ़ प्रबंधन को बढ़ाने और सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

8 जुलाई 2024 को केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर एक उल्लेखनीय विकास था। यह समझौता ज्ञापन जल जमाव, लवणता, बाढ़ मानचित्रण, नदियों और जलाशयों के लिए एआई/एमएल-आधारित भविष्यवाणियों, आर्द्रभूमि निगरानी, चरम घटनाओं की भविष्यवाणी और बेहतर जल प्रबंधन के लिए हाइड्रोलॉजिकल मॉडल में उपग्रह डेटा को शामिल करने वाले सहयोगात्मक अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

प्रकाशन के क्षेत्र में, माननीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर.पाटिल ने "भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का आकलन" शीर्षक से केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट, एक वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है जिसमें 1986 से 2022 तक उपग्रह इमेजरी का उपयोग किया गया है, जिससे पता चलता है कि विभिन्न संरचनात्मक उपायों के माध्यम से लगभग 20.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान लगभग 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है।

इसके अतिरिक्त, जुलाई 2024 के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं की चल रही समीक्षा से इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और सिफारिशें सामने आई हैं, जो जल संसाधन प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

आंध्र प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री डॉ. निम्मला रामनायडू और विशेष मुख्य सचिव श्री साई प्रसाद के साथ मेरी बैठक में, हमने पोलावरम परियोजना के महत्वपूर्ण पहलुओं और आगे बढ़ने के तरीकों पर चर्चा की, और परियोजना के शीघ्र पूरा होने के लिए हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया।

15 जुलाई 2024 को, मैंने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के जल संसाधन प्रभाग परिषद (डब्ल्यूआरडीसी) की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्घाटन बीआईएस के उप महानिदेशक श्री संजय पंत ने किया, जिसमें मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (एसएनएपी) 2022-27 के साथ हमारे प्रयासों के संरेखण पर प्रकाश डाला गया। मैंने टिकाऊ जल प्रबंधन को बढ़ावा देने और जलवायु-अनुकूलित बुनियादी ढांचे के निर्माण में मानकों के महत्व पर बल दिया। हमने शहरी बाढ़, हिमानी झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ), और बांध पुनर्वास जैसी उभरती चुनौतियों का भी समाधान किया। प्रमुख निर्णयों में दो नई अनुभागीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति, 17 अनुभागीय समितियों का गठन और आईएसओ तकनीकी समिति की सदस्यता में भारत की उन्नति शामिल है।

एक गौरवपूर्ण क्षण में, केंद्रीय जल आयोग को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन (जीईईएफ) द्वारा आयोजित वैश्विक जल तकनीकी शिखर सम्मेलन (ग्लोबल वाटर टेक समिट)-2024 में "वर्ष का जल विभाग (वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर)" श्रेणी के तहत वैश्विक जल तकनीकी पुरस्कार (ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड) से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जल प्रबंधन और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से की गई नई पहल में के.ज.आ की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। यह मान्यता उत्कृष्टता के प्रति हमारे समर्पण और जल प्रौद्योगिकी और संसाधन प्रबंधन को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों को मजबूत करती है।

हम आने वाले महीनों में उसी उत्साह और समर्पण के साथ अपनी पहल को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं।

परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

पीआईपी के लिए नियुक्त व्यक्तिगत विशेषज्ञों के साथ समापन बैठक



Panel of Experts visited Polavaram Irrigation Project (PIP) site from 30th June 2024 to 03rd July 2024

संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के विशेषज्ञों को काम पर रखा गया था और पीपीए द्वारा पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल (पीओई) गठित किया गया था। विशेषज्ञों के पैनल ने पीपीए, के.ज.आ, सीएसएमआरएस, डब्ल्यूआरडी (जीओएपी) और कार्यकारी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ 30 जून से 3 जुलाई, 2024 तक पोलावरम सिंचाई परियोजना स्थल का दौरा किया। विशेषज्ञों के पैनल ने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कॉफ़र बांध का निरीक्षण किया और परियोजना स्थल पर आने वाली विभिन्न तकनीकी चुनौतियों, जैसे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कॉफ़र बांध भूमि सुधार कार्य से रिसाव आदि की समीक्षा की।

स्थल का दौरा करने के बाद केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के पैनल, (पीओई), पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, के.ज.आ, डब्ल्यूआरडी (जीओएपी), सीएसएमआरएस और कार्यकारी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ स्थल के दौरे के परिणामों पर चर्चा करने के लिए 03.07.2024 को हाइब्रिड मोड में एक रैप मीटिंग आयोजित की गई। विशेषज्ञों का पैनल पोलावरम परियोजना प्राधिकरण को आगे का रास्ता बताते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट देगा।

मुख्य अभियंता, डिज़ाइन और उप निदेशक, तटबंध निदेशालय स्थल के दौरे में विशेषज्ञों के पैनल के साथ थे।

जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना (एमपीपी)

जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना (एमपीपी) के डिज़ाइन पहलुओं पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) के सदस्य (डी एंड आर) के नेतृत्व में 4 जुलाई, 2024 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में के.ज.आ और उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीडीसीसी) के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, यूपीडीसीसी अधिकारियों ने परियोजना निर्माण को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए डायवर्जन व्यवस्था को अंतिम रूप देने की तात्कालिकता पर जोर दिया। परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई।

इसके अलावा, यूपीडीसीसी के अधिकारी सोंग बांध पेयजल परियोजना लेकर आए, जिसके लिए यूपीडीसीसी और के.ज.आ के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। चूंकि जमरानी बांध एमपीपी को के.ज.आ के सीएमडीडी (ई एंड एनई) निदेशालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यूपीडीसीसी अधिकारियों ने

अनुरोध किया कि बेहतर समन्वय के लिए सोंग बांध पेयजल परियोजना को उसी निदेशालय द्वारा प्रबंधित किया जाए। जवाब में, सदस्य (डी एंड आर) ने सीएमडीडी (ई एंड एनई) को ई एंड एनई इकाई के तहत सोंग बांध पेयजल परियोजना को शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

लखवार एमपीपी

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर किया जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग परियोजना के लिए डिज़ाइन परामर्श प्रदान कर रहा है।

23.07.2023 को सदस्य, डी एंड आर की अध्यक्षता में के.ज.आ, सीईए और यूजेवीएनएल के अधिकारियों के बीच एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान, कतरनी क्षेत्र उपचार के लिए प्रस्तावित पद्धति, टेल रेस संरचना के सामने दीर्घकालिक अवसादन से संबंधित मुद्दे, टीआरटी आउटलेट के इनवर्ट के निर्धारण के लिए संशोधित टेल वॉटर रेटिंग वक्र, पावर संभावित अध्ययन में संशोधन, सेवन के वैकल्पिक लेआउट, संख्यात्मक अंतराल का पता लगाने के लिए एनआईआरएम द्वारा अपनाई गई पावर हाउस की मॉडलिंग और ट्रांसफार्मर कैवर्न की खुदाई के लिए कार्यप्रणाली की आवश्यकता पर चर्चा की गई।

द्रास मुरु लिंक परियोजना, जम्मू एवं कश्मीर



द्रास-सुरु लिंक परियोजना को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में रन ऑफ रिवर योजना के रूप में प्रस्तावित किया गया है। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) वर्तमान में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के सिंधु बेसिन संगठन (आईबीओ) द्वारा तैयार की जा रही है।

प्रस्तावित लिंक परियोजना के विभिन्न विकल्पों पर चर्चा और पता लगाने और परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए, सीडब्ल्यूसी मुख्यालय, नई दिल्ली में मुख्य अभियंता, डिज़ाइन (एन एंड डब्ल्यू) की अध्यक्षता में एक बैठक (हाइब्रिड मोड में) आयोजित की गई थी। बैठक में 24.07.2024 को डिज़ाइन विंग (एन एंड डब्ल्यू), एचएसओ और आईबीओ के अधिकारियों ने भाग लिया।

द्रास नदी के साथ दो उप-घाटियों (अर्थात द्रास और सुरु) के बीच द्रास सुरु लिंक परियोजना के विभिन्न संभावित विकल्पों पर चर्चा की गई।



राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर और शाहपुरकंडी बांध परियोजना

भारत सरकार ने लोगों के लाभ के लिए चिन्हित राष्ट्रीय परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की दृष्टि से XI योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय परियोजनाओं की एक योजना को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परियोजनाओं को सिंचाई और पेयजल घटक की लागत के लिए केंद्रीय अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

शाहपुरकंडी बांध परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) रावी नदी पर, रंजीत सागर बांध से 11 किमी नीचे की ओर और माधोपुर हेडवर्क्स से 8 किमी ऊपर की ओर है। इसमें 55.5 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध, नदी के बाएं किनारे पर 7.70 किमी लंबे हाइड्रल चैनल, 2 हेडरेगुलेटर, एक पंजाब में शाहपुरकंडी हाइड्रल चैनल (बायीं ओर) और दूसरा जम्मू-कश्मीर में रावी नहर (दाहिनी ओर) को जोड़ने के लिए निर्माण की परिकल्पना की गई है।

इस परियोजना से 37173 हेक्टेयर (जम्मू-कश्मीर में 32173 हेक्टेयर+पंजाब में 5000 हेक्टेयर) का सिंचाई लाभ और 206 मेगावाट (2x99 मेगावाट+8 मेगावाट) की बिजली क्षमता है।

सचिव (डब्ल्यूआर) की अध्यक्षता में 04.07.2024 को राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर और शाहपुरकंडी बांध परियोजना की रीलाइनिंग के संबंध में विशेष परियोजनाओं की समीक्षा पर एक बैठक आयोजित की गई। डी ओडब्ल्यूआर, आरडी एवं जीआर, सीडब्ल्यूसी, सरकार के अधिकारी। पंजाब और सरकार के बैठक में जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने भाग लिया था।

शाहपुरकंडी बांध परियोजना के संबंध में बताया गया कि परियोजना की भौतिक प्रगति लगभग 75% है, जबकि वित्तीय प्रगति 72% है। बांध/हेडवर्क्स, वन मंजूरी, नूरा ब्रिज की प्रगति और परियोजना को पूरा करने के लिए समय विस्तार पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अलावा, रंजीत सागर के साथ-साथ शाहपुरकंडी बांध परियोजना के लिए पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच परियोजना लागत साझा करने के संबंध में भी चर्चा हुई।

सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर ने परियोजना अधिकारियों से सभी लंबित घटकों को पूरा करने के लिए यथार्थवादी योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। इसके अलावा, दो राज्यों के बीच रंजीत सागर और शाहपुरकंडी बांध परियोजना की लागत को साझा करने के संबंध में, दोनों राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे इस मुद्दे को आपस में सुलझाएं या 2018 में उनके द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का सहारा लें।

उत्तरी कोयल परियोजना, बिहार और झारखंड के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए टीईसी की 37वीं बैठक

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना (एनकेपी) के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की 37वीं बैठक सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), सीडब्ल्यूसी और अध्यक्ष (टीईसी), एनकेपी की अध्यक्षता में 19.07.2024 को सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में डीओडब्ल्यूआर, सीडब्ल्यूसी मुख्यालय और फील्ड इकाइयों, बिहार, झारखंड राज्य सरकारों और डब्ल्यूएपीसीओएस के अधिकारियों ने भाग लिया।

डब्ल्यूआरडी बिहार/झारखंड द्वारा महत्वपूर्ण विषयों जैसे-भूमि अधिग्रहण की स्थिति, वैपकोस द्वारा परियोजना के शेष कार्यों के विभिन्न घटकों की प्रगति, बिहार भाग (आरडी 68.37 किमी से 109.09 किमी) में आरएमसी और इसकी संरचनाओं की लाइनिंग, मरम्मत और निर्माण कार्य के लिए निविदा की स्थिति, दायीं मुख्य नहर, झारखंड के वितरण नेटवर्क (12 लघु) के मृदा कार्य, मरम्मत और निर्माण कार्य के लिए निविदा की स्थिति, बिहार में आरएमसी से वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य के लिए निविदा की स्थिति, आरएमसी से बिजली के खंभों की शिफ्टिंग की स्थिति, डाल्टनगंज, झारखंड में शिलान्यास समारोह के संबंध में बकाया भुगतान की स्थिति, मोहम्मदगंज में भीम गेट के नवीनीकरण और रखरखाव के लिए चल रहे अनुबंध के अंतिम भुगतान के लिए 1.37 करोड़ रुपये के भुगतान की स्थिति आदि पर चर्चा हुई।



प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रमांक	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	उद्देश्य
1	बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजनाएँ (ईएपी)।	चार दिन	56	बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के कार्यान्वयन में शामिल हितधारकों की क्षमताओं को मजबूत करना और बांध सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की भारी मांग को पूरा करने के लिए 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित' कार्यक्रम के रूप में कार्य करना।
2	संकाय विकास कार्यक्रम	पांच दिन	30	प्रशिक्षकों की क्षमता और व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के लिए,
3	प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)	तीन सप्ताह	25	ब्रह्मपुत्र बोर्ड के नव नियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं (जेई) के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)
4	तटीय कटाव संरक्षण एवं तटीय क्षेत्र प्रबंधन	एक सप्ताह	36	विषयों में तटीय डेटा संग्रह, तटीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करना, तटीय संरचनाओं का डिजाइन और निर्माण, तटीय इंजीनियरिंग में मॉडलिंग तकनीक, लहर और ज्वार हाइड्रोडायनामिक्स, तटरेखा परिवर्तन का आकलन, और तटीय सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन शामिल हैं।
5	भारत में जल संसाधन क्षेत्र का अवलोकन (प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला)	एक दिन	57	स्कूल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला
6	शहरी बाढ़ प्रबंधन	चार दिन	57	शहरी बाढ़ के प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी संबंधित हितधारकों की क्षमताओं और दक्षताओं को बढ़ाना



बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021/एनडीएसए

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की छठी बैठक

श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और भारत सरकार के पदेन सचिव और अध्यक्ष, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) ने 3 जुलाई, 2024 को एनसीडीएस की छठी बैठक आयोजित की।

बैठक में केंद्रीय जल आयोग, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्राधिकरण (जीएसआई) एवं अन्य केंद्रीय सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 54 (1) के तहत तैयार किए गए मसौदा विनियमन 54 (2) (एस) "निर्दिष्ट बांध के अलावा बांध के प्रत्येक मालिक द्वारा



बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय -धारा 46 की उप-धारा (1)" के संदर्भ में जानकारी दी, । उन्होंने सदस्यों द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा के बाद समिति ने उक्त नियमावली के प्रारूप को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी।



I. बाढ़ से सम्बंधित मामले

हथिनीकुंड और ओखला बैराज के बीच पहुंच के लिए यमुना नदी का संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन

सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 1 जुलाई, 2024 को "हथिनीकुंड और ओखला बैराज के बीच विस्तार क्षेत्र में यमुना नदी के संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन" के लिए गठित समिति की चौथी बैठक की।

बैठक में केंद्रीय जल आयोग, आईएमडी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों, दिल्ली सरकार, डीडीए, सीडब्ल्यूपीआरएस, यूवाईआरबी, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने भाग लिया।

अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने समिति की विभिन्न शर्तों के संबंध में हुई प्रगति का विस्तार से उल्लेख किया और यमुना में बाढ़ प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे बैराजों का संचालन, पहुंच का हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन, यमुना के जलग्रहण क्षेत्र में प्रतिनिधि वर्षा



विश्लेषण, नदी की वहन क्षमता, एनसीटी दिल्ली में जल अध्ययन, यमुना के जलग्रहण क्षेत्र में प्रतिनिधि वर्षा विश्लेषण, नदी की वहन क्षमता, एनसीटी दिल्ली में जल निकासी की समस्या आदि पर चर्चा की। अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने सभी एजेंसियों को शेष अध्ययन पूरा करने के लिए आवश्यक जानकारी/डेटा साझा करने का निर्देश दिया और समिति के टीओआर के आदेश के अनुसार मॉडल अध्ययन को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया।

देश में बाढ़ की स्थिति - जुलाई 2024

ब्रह्मपुत्र, बराक और झेलम बेसिन में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2023 को शुरू हुई। 1 मई से 31 जुलाई 2024 की अवधि के दौरान, कुल 3597 (3040 स्तर+557 प्रवाह) बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए जिसमें से 3340 (2821 स्तर+519 प्रवाह) पूर्वानुमान 92.85% प्रतिशत सटीकता के साथ अनुमेय सीमा के भीतर थे। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से जुलाई 2024 माह के दौरान 126 रेड बुलेटिन (अत्यधिक बाढ़ की स्थिति के लिए) और 124 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किए गए।

01.05.2024 से 31.07.2024 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश चरम बाढ़ की स्थिति

चार एफएफ स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

क्रमांक	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	अवधि	
					से	तक
1	असम	जोरहाट	ब्रह्मपुत्र	नेमाटीपाट	30/06/2024	02/07/2024
2		सोनितपुर	जियाभराली	जिया-भराली एनटी रोड क्रॉसिंग	01/07/2024	01/07/2024
3		शिवसागर	दिखो	शिवसागर	02/07/2024	02/07/2024
4		डिब्रूगढ़	बुरिदेहिग	खोवांग	02/07/2024	03/07/2024

22 बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर अत्यधिक बाढ़ की स्थिति देखी।

सामान्य बाढ़ की स्थिति से ऊपर

अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना में 40 एफएफ स्टेशनों पर सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

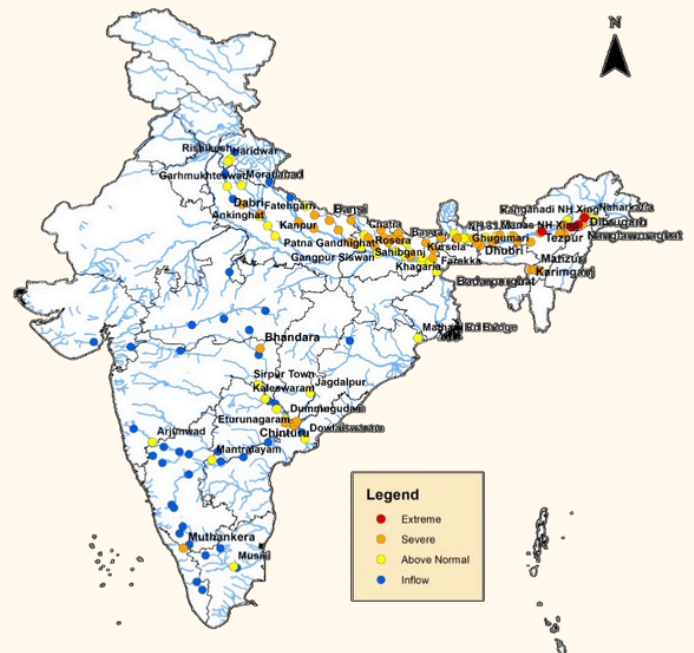
भीषण बाढ़ की स्थिति

असम, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 52 पूर्वानुमान स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी।

असम, बिहार, मणिपुर, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और तेलंगाना में 76 निगरानी स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी।

सीमा से अधिक अंतर्वाह वाले जलाशय

तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 40 जलाशयों में उनकी सीमा से अधिक पानी आया।



II. अंतर-राज्य विवाद

पेन्नैयार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति



केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 2 जुलाई, 2024 को पेन्नैयार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति की 5वीं बैठक की।

बैठक में चार सह-बेसिन राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, सीजीडब्ल्यूबी के अधिकारियों

और केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में समिति द्वारा किए गए क्षेत्र दौरे की रिपोर्ट, सीडब्ल्यूसी द्वारा किए गए जल उपज अध्ययन और टीओआर के अनुसार अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। क्षेत्र भ्रमण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे समग्र रूप से कृष्णागिरि तक बेसिन में पानी की उपज और इसके ऊपर के उप-बेसिन के संबंध में, जैसा कि बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया था, अतिरिक्त टिप्पणियाँ प्रदान करें। अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने व्यक्त किया कि समिति के सदस्यों द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग को देखते हुए, इस संबंध में उठाए गए मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है।

III. पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी एवं डब्ल्यूएम

आंध्र प्रदेश

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत आंध्र प्रदेश राज्य से आठ परियोजनाएं हैं जिनके नाम हैं कंडुला ओबुलारेड्डी गुंडलाकम्मा जलाशय परियोजना, मैडिगेड्डा जलाशय परियोजना, मुसुरुमिली जलाशय परियोजना, पुष्कर लिफ्ट सिंचाई योजना, ताड़ीपुडी लिफ्ट सिंचाई योजना, तारकरमा तीर्थ सागरम परियोजना, थोटापल्ली बैराज परियोजना और येराकल्वा जलाशय परियोजना। इन 8 परियोजनाओं में से एक परियोजना अर्थात् मैडिगेड्डा जलाशय परियोजना पूरी हो चुकी है और शेष सात चल रही हैं। वित्त वर्ष 2016-17 से अब तक पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत आंध्र प्रदेश में उपरोक्त आठ (8) परियोजनाओं के लिए कुल 22.700 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) जारी की गई है और वित्त वर्ष 2016-17 से अब तक पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत सृजित सिंचाई क्षमता 52.229 मिलियन हेक्टेयर है।



गुंडलकम्मा, आंध्र प्रदेश

तेलंगाना

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत तेलंगाना राज्य से ग्यारह परियोजनाएं हैं जिनके नाम हैं जे चोक्का राव देवदुला एलआईएस, श्री कोमुरम भीम परियोजना, गोलावागु परियोजना, रालिवगु जलाशय परियोजना, मथादिवागु जलाशय परियोजना, नीलवर्दी जलाशय परियोजना, पालेमवागु जलाशय परियोजना, जगन्नाथपुर में पेद्दावागु डायवर्जन योजना, श्री रामसागर परियोजना-चरण-II, राजीव भीम एलआईएस, इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर। इन ग्यारह (11) सिंचाई परियोजनाओं में से, तीन (3) परियोजनाएं अर्थात् गोलवागु परियोजना, रालिवगु जलाशय परियोजना और मथादिवागु जलाशय परियोजना पूरी हो चुकी हैं। श्रीकोमुरम भीम परियोजना को भी परियोजना अधिकारियों द्वारा पूर्ण बताया गया है, और पूर्ण होने की रिपोर्ट डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, एमओजेएस को भेज दी गई है। वित्त वर्ष 2016-17 से आज तक पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत तेलंगाना में उपरोक्त ग्यारह (11) परियोजनाओं के लिए जारी की गई कुल केंद्रीय सहायता (सीए) 978.901 करोड़ रुपये है और वित्त वर्ष 2016-17 से आज तक पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत बनाई गई सिंचाई क्षमता 135.852 टन हेक्टेयर है।



इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर, तेलंगाना



IV. अन्य गतिविधियां

जीईईएफ ग्लोबल वॉटर टेक अवार्ड

26 जुलाई, 2024 को दिल्ली में ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन (जीईईएफ) द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित ग्लोबल वॉटर टेक समिट-2024 में "वर्ष के जल विभाग" श्रेणी के तहत केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को जीईईएफ ग्लोबल वॉटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

वैश्विक पुरस्कार जल, अपशिष्ट जल और अलवणीकरण क्षेत्रों में नवाचार, प्रौद्योगिकी, संरक्षण और सतत विकास की पहल को सम्मानित करने और पुरस्कृत करने के लिए कई श्रेणियों में जल क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता देते हैं।

वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण फाउंडेशन ने जल प्रबंधन में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की महत्वपूर्ण भूमिका और सीडब्ल्यूसी द्वारा की गई कई नई पहलों को स्वीकार किया ताकि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके।

शिखर सम्मेलन में पुरस्कार प्राप्त करते समय, सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष ने भारत में जल संसाधन परिदृश्य का एक व्यावहारिक अवलोकन भी प्रस्तुत किया, जिसमें जल प्रबंधन में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग से महत्वपूर्ण अपेक्षाओं पर प्रकाश डाला गया।

यह मान्यता जल प्रौद्योगिकी और संसाधन प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्टता और निरंतर प्रयासों के प्रति सीडब्ल्यूसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।



"भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र का आकलन" पर प्रकाशन

भारत सरकार के माननीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर.पाटिल ने 25.07.2024 को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की सचिव सुश्री देबाश्री मुखर्जी, श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और जलशक्ति मंत्रालय एवं सीडब्ल्यूसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी की गई "भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र का आकलन" नामक रिपोर्ट प्रकाशित की।

केंद्रीय जल आयोग ने 1986-2022 की अवधि के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग करके बाढ़ की सभी घटनाओं को कैप्चर करके वैज्ञानिक



अध्ययन किया है। इस प्रकाशन से पता चलता है कि विभिन्न संरचनात्मक उपाय करके देश में लगभग 20.5 एमएचए क्षेत्र को बाढ़ से बचाया गया है। इसके अलावा, 1986-2022 की अवधि के विश्लेषण के अनुसार देश में लगभग 21 एमएचए क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है।

यह प्रकाशन बाढ़ से निपटने वाले योजनाकारों, नीति निर्माताओं, आपदा प्रबंधकों, राहत एजेंसियों, शिक्षाविदों आदि को बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न उपायों की पहचान करने और आगे उचित बाढ़ सुरक्षा कार्य करने में मदद करेगा।

प्रकाशन का पीडीएफ संस्करण सीडब्ल्यूसी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

माननीय मंत्री डब्ल्यूआरडी, आंध्र प्रदेश सरकार के साथ बैठक

माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, डॉ. निम्मालारामनायडू ने विशेष मुख्य सचिव श्री साई प्रसाद और आंध्र प्रदेश सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ 23 जुलाई, 2024 को सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा से मुलाकात की।

पोलावरम परियोजना से संबंधित मुद्दों और आगे की राह के संबंध में व्यापक चर्चा की गई। अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने परियोजना को शीघ्र पूरा करने में हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।



भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की जल संसाधन प्रभाग परिषद (डब्ल्यूआरडीसी)



श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी और भारत सरकार के पदेन सचिव और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के जल संसाधन प्रभाग परिषद (डब्ल्यूआरडीसी) के अध्यक्ष ने 15.07.2024 को डब्ल्यूआरडीसी की 22वीं बैठक आयोजित की।

श्री संजय पंत, उप महानिदेशक, बीआईएस ने अध्यक्ष और भौतिक और ऑनलाइन उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने प्रतिभागियों को बीआईएस में नए विकास और मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (एसएनएपी) 2022-27 के साथ परिषद की गतिविधियों को संरेखित करने के बारे में अवगत कराया।

अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, अध्यक्ष, डब्ल्यूआरडीसी ने सतत जल प्रबंधन, जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे में मानकों की भूमिका और सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों को स्थापित करने के लिए परिषद और इसकी अनुभागीय समितियों की जिम्मेदारी पर जोर दिया।

उन्होंने भारतीय मानकों में शहरी बाढ़, हिमनद झील विस्फोट (जीएलओएफ), जलाशय अवसादन और मरम्मत, रेट्रोफिटिंग और बांधों के पुनर्वास जैसे नए फोकस क्षेत्रों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा चेयरपर्सन ने इन मुद्दों को प्राथमिकता देने और परिषद के प्रयासों को भारत के सतत विकास के साथ संरेखित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो हमारे मानकों के मूल में होना चाहिए।

परिषद की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों में अन्य बातों के साथ-साथ दो नवगठित अनुभागीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति अगले 3 वर्षों के लिए 17 अनुभागीय समितियों का पुनर्गठन, अनुभागीय समितियों के दायरे की समीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ) की अंतर्राष्ट्रीय समितियों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों का नामांकन, आईएसओ की एक तकनीकी समिति में भारत की सदस्यता की स्थिति को पर्यवेक्षक से बढ़ाकर भागीदार बनाना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को आकार देने में भारत को अधिक प्रभाव प्रदान करना आदि भी शामिल है।

चेयरपर्सन ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तैयार करने में सदस्यों के अमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और निरंतर सक्रिय भागीदारी और सहयोग को प्रोत्साहित किया और अधिक उत्पादक चर्चाओं और सार्थक परिणामों की आशा की।

सीडब्ल्यूसी और एसएसी, इसरो, अहमदाबाद के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)



सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने जल विज्ञान और जल संसाधन प्रबंधन, रिमोट सेंसिंग और सहयोगात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में साझा लाभ के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी) के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु इसरो, अहमदाबाद के निदेशक, एसएसी, डॉ. नीलेश एम. देसाई के साथ विस्तृत चर्चा की। यह निर्णय लिया गया कि सीडब्ल्यूसी और एसएसी इस संबंध में पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं।

इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 8 जुलाई, 2024 को सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा और एसएसी के निदेशक डॉ. नीलेश एम. देसाई ने हस्ताक्षर किए।

मोटे तौर पर, समझौता ज्ञापन में जल जमाव वाले क्षेत्रों और लवणता वाले क्षेत्रों का मूल्यांकन, भारत में स्थानिक बाढ़ मानचित्रण और निगरानी, उपग्रह आधारित मौसम संबंधी मापदंडों का अनुमान, विभिन्न नदी और जलाशय मापदंडों की एआई/एमएल आधारित भविष्यवाणियां और आर्द्रभूमि की निगरानी, बाढ़ और जलवैज्ञानिक सूखे जैसी चरम घटनाओं के लिए पूर्वानुमान प्रौद्योगिकियां, उच्च ऊंचाई वाली झीलों की निगरानी करना, SWOT से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए नदी और आर्द्रभूमि जल माप के लिए हाइड्रोलॉजिकल प्रयोग करना, भारत में चयनित स्थलों पर सेंटिनल-3ए/बी और भविष्य के सेंसर डेटा, जल संसाधन प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और अन्य पारस्परिक रूप से संबद्ध क्षेत्रों में सुधार के लिए जल विज्ञान मॉडल में उपग्रह और यथावत अवलोकनों के एकीकरण से संबंधित संयुक्त अध्ययन शामिल हैं।

समझौता ज्ञापन के तहत दोनों संस्थानों की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाते हुए आपसी परामर्श और सहयोग के माध्यम से कार्य किया जाएगा।

IV. अन्य गतिविधियां

एमटीबीओ, गांधीनगर में ज्ञान साझाकरण सत्र

माही व तापी बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, गांधीनगर द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर आधे दिन का ज्ञान साझाकरण सत्र का आयोजन श्री डी एस चासकर, मुख्य अभियंता महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2024 को हाईब्रिड माध्यम से चार (04) व्याखानों के माध्यम से संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के प्रथम सत्र में "भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी उत्पाद" विषय पर व्याख्यान श्री रामेश्वर यादव, वैज्ञानिक- डी द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में " भारतीय क्षेत्र में वर्षा वाली मौसम प्रणालियाँ " विषय पर व्याख्यान श्री प्रदीप शर्मा, वैज्ञानिक- डी द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम के तृतीय सत्र में "नाउकास्ट और रडार उत्पाद " विषय पर व्याख्यान श्री वैद प्रकाश सिंह, वैज्ञानिक-डी द्वारा प्रदान किया गया।

कार्यक्रम के चतुर्थ सत्र में " भारत मौसम विज्ञान विभाग के बाढ़ पूर्वानुमान के लिए जल-मौसम विज्ञान संबंधी सहायता " विषय पर व्याख्यान श्री अभिमन्यु चौहान, वैज्ञानिक- सी द्वारा प्रदान किया गया। श्री आर जी कानूनगो मुख्य अभियंता भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग गुजरात, जल संसाधन विभाग

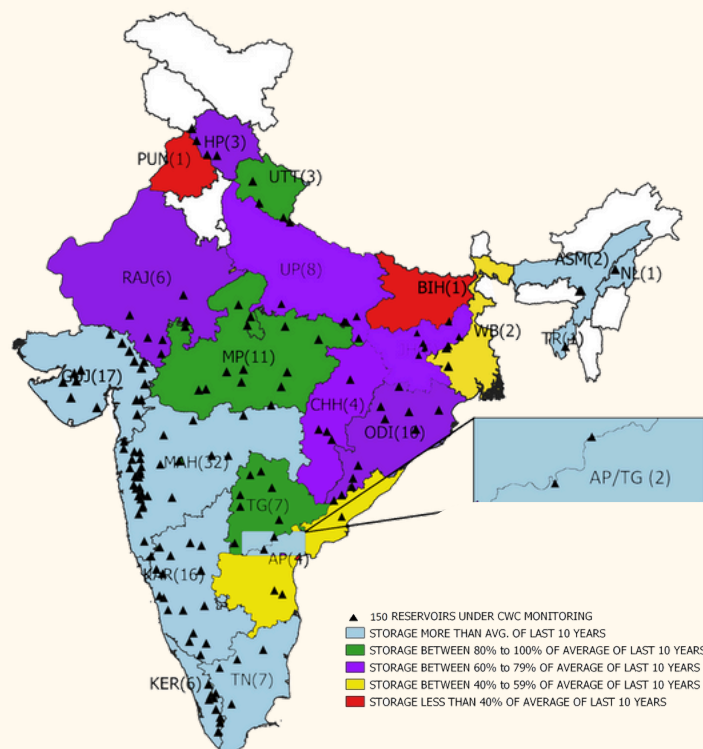


मध्यप्रदेश, जल संसाधन विभाग राजस्थान, जल संसाधन विभाग महाराष्ट्र, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) एवं माही एवं तापी बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग गांधीनगर के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

V. जलाशय निगरानी

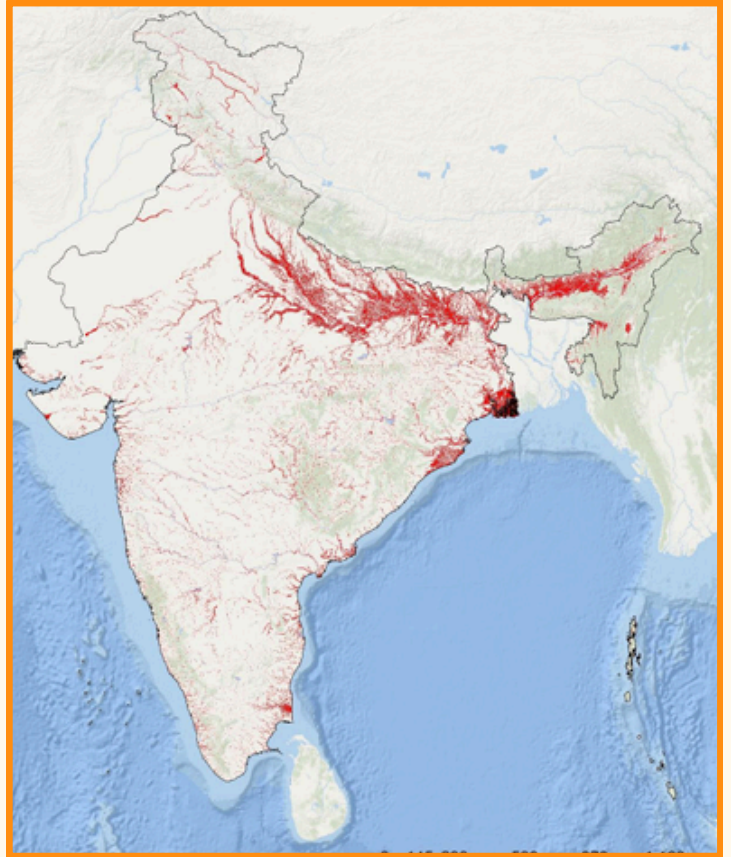
के.ज.आ. साप्ताहिक आधार पर देश के 150 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और हर गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से, 20 जलाशय जल-विद्युत परियोजनाओं के हैं, जिनकी कुल संग्रहण क्षमता 35.299 बीसीएम है। इन 150 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 178.784 बीसीएम है, जो देश में अनुमानित 257.812 बीसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 69.35% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 25.07.2024 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण 69.270 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 39% है। हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण 83.987 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत संग्रहण 72.411 बीसीएम था। इस प्रकार, 25.07.2024 बुलेटिन के अनुसार 150 जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सक्रिय भंडारण का 82% और पिछले दस वर्षों के औसत भंडारण का 96% है।



राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की कुल सीमा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरबीए - 1980 (1953- - 1978)		कुल Mha (सी) = (ए) + (बी)	सीडब्ल्यूसी - 2023 (1986- 2022)		कुल Mha (आर) = (पी) + (क्यू)
		प्रभावित क्षेत्र (Mha) (ए)	संरक्षित क्षेत्र (Mha) (बी)		प्रभावित क्षेत्र (Mha) (पी)	संरक्षित क्षेत्र (Mha) (क्यू)	
1	आंध्र प्रदेश	1.390	0.700	2.090	0.699	1.310	2.009
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	0.106	0.100	0.206
3	असम	3.150	1.305	4.455	2.477	2.110	4.587
4	बिहार	4.260	1.566	5.826	2.914	3.692	6.606
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	0.447	0.000	0.447
6	गोवा	-	-	-	0.024	0.003	0.027
7	गुजरात	1.390	0.362	1.752	0.588	0.483	1.071
8	हरयाणा	2.350	1.095	3.445	0.130	2.000	2.130
9	हिमाचल प्रदेश	0.230	-	0.230	0.172	0.018	0.190
10	झारखंड	-	-	-	0.413	0.001	0.414
11	कर्नाटक	0.020	0.001	0.021	0.536	0.005	0.541
12	केरल	0.870	0.011	0.881	0.253	0.346	0.599
13	मध्य प्रदेश	0.260	-	0.260	0.982	0.004	0.986
14	महाराष्ट्र	0.230	0.001	0.231	0.888	0.001	0.889
15	मणिपुर	0.080	0.073	0.153	0.083	0.132	0.215
16	मेघालय	0.020	0.075	0.095	0.050	0.015	0.065
17	मिजोरम	-	-	-	0.026	0.000	0.026
18	नगालैंड	-	-	-	0.016	0.632	0.648
19	ओडिशा	1.400	0.351	1.751	1.024	0.630	1.654
20	पंजाब	3.700	2.407	6.107	0.121	3.190	3.311
21	राजस्थान	3.260	0.016	3.276	0.712	0.082	0.794
22	सिक्किम	-	-	-	0.005	0.041	0.046
23	तमिलनाडु	0.450	0.030	0.480	0.665	0.122	0.787
24	तेलंगाना	-	-	-	0.216	-	0.221
25	त्रिपुरा	0.330	0.009	0.339	0.062	0.033	0.095
26	उत्तर प्रदेश	7.336	0.739	8.075	5.174	1.703	6.877
27	उत्तराखंड	-	-	-	0.114	0.002	0.116
28	पश्चिम बंगाल	2.65	1.001	3.651	1.84	3.584	5.424
29	एक	-	-	-	0.02	-	0.019
30	चंडीगढ़	-	-	-	0	-	0
31	दमन, दीव और दादर एवं नागर हवेली	-	-	-	0.002	-	0.002
32	दिल्ली	0.05	0.023	0.073	0.01	0.078	0.088
33	जम्मू और कश्मीर	0.08	0.012	0.092	0.166	0.217	0.383
34	लद्दाख	-	-	-	0.27	-	0.27
35	लक्षद्वीप	-	-	-	0	-	0
36	पुदुचेरी	0.01	0	0.01	0.008	0.004	0.012
कुल		33.516	9.777	43.293	21.213	20.538	41.755
(i)	कुल प्रभावित क्षेत्र	34			21.213		
(ii)	संरक्षित क्षेत्र	10			20.538		
(iii)	संरक्षण कार्य की विफलता के कारण कुछ संरक्षित क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जिनका पहले से ही (i) के तहत हिसाब लगाया गया है।	4			-		
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र = (i) + (ii) - (iii)		40			41.751*		



स्रोत:

भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र (cwc.gov.in)

* चूंकि कुछ सुरक्षा कार्यों की विफलता के कारण जलमग्न क्षेत्रों की पहचान के लिए कोई विशिष्ट मानदंड/अध्ययन नहीं किया गया है, इसलिए इस अध्ययन में किसी कटौती पर विचार नहीं किया गया है जैसा कि आरबीए-1980 द्वारा माना गया है। इसके अलावा, बीच की अवधि के दौरान अधिक सुरक्षा कार्यों में सुधार हुआ होगा और स्थानीय स्तर पर अधिक सुरक्षा कार्य किए गए होंगे जिनकी रिपोर्ट नहीं की गई होगी।

कोमरंभीम हेड वर्क्स



केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध
कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री पदमा दोर्जे, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश चैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री राकेश टोटेजा, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री सुनीलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी-सी) - सदस्य
- श्री श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in